15/5/25 पत्रावली पेश हुई वादिनी स्वयं एवं उनके अधिवक्ता
उपस्थित नहीं आये। पुकार-2 कराई पुकार-2 आवाज
लगवाई गई, किन्तु अनुपस्थित रहे। अतः वादिनी
का वाद पैरवी के अभाव में अदम पैरवी
अदम हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली
फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

Devendra